"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-13/2017/916/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष के लिए पंजीयन प्रदान करता है :-

क्र.	जिला	बाल देखरेख संस्था का प्रकृति	स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता	बाल गृह का पता	स्वीकृत क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायगढ़	बाल गृह (बालिका)	उन्नायक सेवा समिति 960/22 केलो विहार कॉलोनी, रायगढ़	बाल गृह (बालिका) हण्डी चौक रायगढ़	0	75	06/RG H/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पॉच वर्षों के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा अनिवार्यत: किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-13/2017/916/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत् जिला प्रशासन द्वारा संचालन की स्थिति में पुन: छ: माह के लिए प्रावधिक पंजीयन प्रदान करता है :-

क्र.	जिला	बाल देखरेख संस्था का प्रकृति	स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता	बाल गृह का पता	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	बालक गृह (बालक)	मॉ डिन्डेश्वरी शिक्षा समिति, जिला-बिलासपुर द्वारा संचालित बालगृह (बालक)	मॉ डिन्डेश्वरी शिक्षा समिति, जिला-बिलासपुर	प्रावधिक पंजीयन

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से छ: माह के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा अनिवार्यत: किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-13/2017/916/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत् जिला प्रशासन द्वारा संचालन की स्थिति में पुन: छ: माह के लिए प्रावधिक पंजीयन प्रदान करता है :-

क्र.	जिला	बाल देखरेख संस्था का प्रकृति	स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता	बाल गृह का पता	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दंतेवाड़ा	बालक गृह (बालक)	सृजन सामाजिक संस्था, जिला-दंतेवाड़ा (छ. ग.)	सृजन सामाजिक संस्था, जिला-दंतेवाड़ा (छ. ग.)	प्रावधिक पंजीयन

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से छ: माह के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा अनिवार्यत: किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.